उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

::पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना"::

बोर्ड अधिसूचना संख्या 4332-4430/श्र0नि0(87)-2011, दिनांक 15.07.2011 द्वारा अधिसूचित।

1. योजना का नाम :- कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना।
2. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का उद्देश्य बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल सम्बन्धी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ करवाया जाना है। निर्माण कार्य से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के श्रमिक केवल अनुभव के आधार पर ही कार्य करते हैं- इनके लिये औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था का पूर्णरूपेण अभाव है। कौशल उन्जयन तथा दक्षता विकास के संस्थागत अभाव में सामान्यतया इन श्रमिकों को उचित मजदूरी एवं बेहतर सेवाशर्तो का लाभ भी नही मिल पाता है। औपचारिक प्रशिक्षण का लाभ ये श्रमिक एवं उनके पुत्र/पुत्री मुख्यतया धनाभाव के कारण प्राप्त नही कर पाते है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे प्रशिक्षण में हुए व्यय तथा मजदूरी के नुकसान (जैसी भी स्थिति हो) की प्रतिपूर्ति करना है।

3. पात्रता :-

योजना के पात्रता हेतु श्रमिक का बोर्ड द्वारा लाभार्थी श्रमिक पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस योजनान्तर्गत लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अथवा उनकी पत्नी अथवा उनके ऊपर आश्रित अविवाहित पुत्री, 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्रों को ही सुलभ हो सकेगा। योजना के अन्तर्गत लाभ किसी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शासकीय पालीटेक्निक अथवा निजी पालीटेक्निक से किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र जो तकनीकी उन्नयन/प्रमाणीकरणों से सम्बन्धित हो, में प्रशिक्षण प्राप्त करने की दशा में ही सुलभ हो सकेगा।

परन्तु यह कि यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण उपरान्त उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा।

परन्तु यह भी कि शैक्षिक संस्थानों का शुल्क वही देय होगा जो शासन द्वारा अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क समितियों में तय हुआ है तथा शासन की अन्य स्रोत प्रतिपूर्ति की योजनाओं से वहन भी न हो।

4. योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ :-

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित अन्य लेखन सामग्री इत्यादि के व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं भाग लेता है तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि की मजदूरी (जो सम्बन्धित कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरुप होगी) की प्रतिपूर्ति भी बोर्ड द्वारा की जायेगी। प्रशिक्षण शुल्क एवं प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तकों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु श्रमिक को उस संस्थान से प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में मजदूरी की प्रतिपूर्ति केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में ही की जायेगी न कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों के संदर्भ में।

5. आवेदन प्रक्रिया :-

(1) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा निर्धारित प्रारुप पर प्रार्थना-पत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 03 माह से अधिक अवधि में परन्तु 06 माह की अवधि के अन्दर प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों में बोर्ड के सचिव द्वारा पर्याप्त कारण उपलब्ध कराये जाने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा, परन्तु 06 माह से अधिक विलम्बित अवधि के प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(2) आवेदक द्वारा अपना प्रार्थना पत्र निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय में तहसीलदार को अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी एक प्रति पावती स्वरुप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक का निर्गत पहचान-पत्र की फोटो प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) आवेदन पत्र के साथ प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमाण-पत्र की फोटोप्रति, प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था द्वारा दिया गया व्यय का प्रमाण-पत्र मूलरूप में एवं संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण-प्रत्र कि आवेदक अथवा उसकी पत्नी/पुत्र/पुत्री ने किन तिथियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. हित-लाभ की स्वीकृति हेतु प्रकिया, भुगतान की प्रकिया तथा सूचना का रखरखाव एवं प्रेषण की प्रकिया –

(1)- योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/ विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अंदर यथासम्भव जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होने की दशा में ही प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे ताकि आवेदक निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से दुबारा बुलाने की आवश्यकता न हो। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र समय से स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सके।

(2)- जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से यथासम्भव 03 दिन के अंदर जिलाधिकारी के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों/संलग्नकों की अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जाए।

(3)- जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिप्रमाणित अभिलेखों से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार अनुमन्य धनराशि के स्वीकृति के आदेश पत्रावली पर किए जायेंगे। जिलाधिकारी

यदि ऐसा आवश्यक/वांछनीय प्रतीत करें, तो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की स्थलीय जाँच के आदेश भी जिला श्रम कार्यालय के अधिकारी के माध्यम से कर सकते हैं अथवा जिलाधिकारी एक संयुक्त जाँच टीम गठित करते हुए समयबद्ध स्थलीय जाँच करवा सकते हैं। स्वीकृत सम्बन्धी यह कार्यवाही यथासम्भव पत्रावली प्रस्तुत होने के 10 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी।

(4)- प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत/अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी, उसकी सूचना प्रपत्र-2 पर आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(5)- जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में यथासम्भव 10 दिन के अंदर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा इस प्रकार जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 03 दिन के अंदर, सम्बन्धित निर्माण श्रमिक/लाभार्थी के नाम से रेखांकित चेक स्वीकृत धनराशि का उल्लेख करते हुए निर्गत किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी के बैंक खाता नम्बर, शाखा इत्यादि का भी स्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। इस प्रकार निर्गत चेक सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा। बोर्ड का आगामी छः मास में यह प्रयास होगा कि सम्बन्धित श्रमिक/लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी परंतु जब तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो जाती है,तब तक इस प्रस्तर में पूर्व उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(6)- इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेखांकित चेक जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए, लाभार्थी को यथासम्भव 07 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा और उससे प्राप्ति रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित रखी जायेगी।

(7)- इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरांत अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

7. कठिनाईयों का निवारण :-

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश, इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

नोट :- ★ उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पत्र संख्याः 7409-7500/भ0नि0बो0(95)-2013, दिनांक16.09. 2011 द्वारा विलम्बित प्रार्थना पत्र योजनाओं में उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत विलम्बमोचन के अधिकार समस्त जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किये गये है।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या– 659/36–2–2011, दिनांक 14.07.2011 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना इस शर्त के साथ अधिसूचित की जाती है कि शैक्षिक संस्थाओं का शुल्क वही देय होगा जो शासन द्वारा अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क समितियों में तय हुआ है तथा शासन की अन्य फीस प्रतिपूर्ति की योजनाओं से वहन भी न हो।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

c/c

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांकः 4332-4430 भवन निर्माण–(87)/2011, दिनांक– 15-07-2011

प्रतिलिपि– *निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 659/36–2–2011, दिनांक 14.07.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नकः यथोक्त।

c/c

(पंकज कुमार) 15/7/11
अपर सचिव।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 4332–4430/भ0नि0बो0(87)–11, दिनांक–15.07.2011 के माध्यम से "कौशल विकास, तकनीकी, उन्नयन एवं प्रमाणन योजना" अधिसूचित की गई थी।

तत्क्रम में बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–11/1488/छत्तीस–2–14–92/11 दिनांक–10.12.2014 के माध्यम से अनापत्ति प्रदान करते हुए पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **"कौशल विकास, तकनीकी, उन्नयन एवं प्रमाणन योजना"** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किए गए हैं–

<u>प्रस्तर–3, पात्रता–</u>

योजना की पात्रता हेतु श्रमिक का बोर्ड द्वारा लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस योजनान्तर्गत लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही अथवा उनकी पत्नी अथवा उनके ऊपर आश्रित अविवाहित पुत्री, 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्रों को ही सुलभ हो सकेगा।

परन्तु यह कि यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण के उपरान्त उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा।

योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कौशल विकास मिशन के तहत कराया जायेगा।

(एस0डी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

<u>उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।</u>

पत्रांक– 6129-35/भ0नि0बो0(87)–2014 दिनांक–15/12/14

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त(पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त उ0प्र0(कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या–11/1488/छत्तीस–2–14–92/11 दिनांक–10.12.2014 के क्रम में सूचनार्थ।

(राजीव मिश्रा)
सहायक सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

द्वितीय तल, A&D ब्लाक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (उ0प्र0)

टोलफ्री: 18001805412, ई–मेलः upbocboardlko@gmail.com

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, द्वारा अधिसूचना संख्या 4332–4430/भवन निर्माण–(87)/2011 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से, **"कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना"** अधिसूचित की गयी थी। तत्क्रम में बोर्ड की 38वीं बैठक दिनांकः 15.02.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या–17(1) में लिए गये निर्णय के आधार पर **Recognition of Prior Learning** योजना को कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना में शामिल करते हुए शासन के पत्र संख्या–4/2019/572/36–2–2018/17/2013 दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से प्राप्त अनापत्ति के क्रम में, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **"कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना"** में निम्नवत् संशोधन किये जाते है :–

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
प्रस्तर–2, योजना का उद्देश्य	इस योजना का उद्देश्य बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की उनमें कौशल सम्बन्धी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ करवाया जाना है। निर्माण कार्य से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के श्रमिक केवल अनुभव के आधार पर ही कार्य करते हैं। इनके लिये औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था का पूर्णरूपेण अभाव है। कौशल उन्नयन तथा दक्षता विकास के संस्थागत अभाव में सामान्यतया इन श्रमिकों को उचित मजदूरी एवं बेहतर सेवाशर्तों का लाभ भी नहीं मिल पाता है। औपचारिक प्रशिक्षण का लाभ ये श्रमिक एवं उनके पुत्र/पुत्री मुख्यतया धनाभाव के कारण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे प्रशिक्षण में हुए व्यय तथा मजदूरी के नुकसान (जैसी भी स्थिति हो)	इस योजना का उद्देश्य बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की उनमें कौशल सम्बन्धी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ करवाया जाना है। निर्माण कार्य से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के श्रमिक केवल अनुभव के आधार पर ही कार्य करते हैं। इनके लिये औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था का पूर्णरूपेण अभाव है। कौशल उन्नयन तथा दक्षता विकास के संस्थागत अभाव में सामान्यतया इन श्रमिकों को उचित मजदूरी एवं बेहतर सेवाशर्तों का लाभ भी नहीं मिल पाता है। औपचारिक प्रशिक्षण का लाभ ये श्रमिक एवं उनके पुत्र/पुत्री मुख्यतया धनाभाव के कारण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे प्रशिक्षण में हुए व्यय तथा मजदूरी के नुकसान (जैसी भी स्थिति हो) की प्रतिपूर्ति करना है।

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
	की प्रतिपूर्ति करना है।	**निर्माण स्थलों पर कार्यरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कौशल वृद्धि हेतु Recognition of Prior Learning योजना लागू की जायेगी जिससे उनके द्वारा किये गये कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके।**
प्रस्तर–3, पात्रता।	योजना की पात्रता हेतु श्रमिक का बोर्ड द्वारा लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस योजनान्तर्गत लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों अथवा उनके ऊपर आश्रित अविवाहित पुत्री, 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्रों को ही सुलभ हो सकेगा। परन्तु यह कि यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण उपरान्त उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा। योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कौशल विकास मिशन के तहत कराया जायेगा। परन्तु यह भी कि शैक्षिक संस्थानों को शुल्क वहीं देय होगा जो शासन द्वारा अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क समितियों में तय हुआ है तथा शासन की अन्य फीस प्रतिपूर्ति की योजनाओं से वहन भी न हो।	योजना की पात्रता हेतु श्रमिक का बोर्ड द्वारा लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस योजनान्तर्गत लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों जिनकी आयु सीमा 18–50 वर्ष के मध्य हो तथा उनके ऊपर आश्रित अविवाहित पुत्री, 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्रों को ही सुलभ हो सकेगा। परन्तु यह कि यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण उपरान्त उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा। योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कौशल विकास मिशन के तहत कराया जायेगा। परन्तु यह भी कि शैक्षिक संस्थानों को शुल्क वहीं देय होगा जो शासन द्वारा अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क समितियों में तय हुआ है तथा शासन की अन्य फीस प्रतिपूर्ति की योजनाओं से वहन न होता हो। **Recognition of Prior Learning योजना यद्यपि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्राथमिक तौर पर किया जायेगा, परन्तु यदि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन आर0पी0एल0 योजना को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने में असमर्थ रहता है अथवा अध्यक्ष, बोर्ड को प्रतीत होता है कि अन्य संस्थाओं से यह कार्य कराया जाना उचित होगा तो अध्यक्ष, बोर्ड की सहमति से अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से यह कार्य कराया जा सकता है तथा**

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
		उसके प्रशिक्षण संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया अध्यक्ष, बोर्ड की सहमति से निर्धारित की जायेगी।
प्रस्तर–4, योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ।	इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित अन्य लेखन सामग्री इत्यादि के व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं भाग लेता है तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि की मजदूरी (जो सम्बन्धित कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरूप होगी) की प्रतिपूर्ति भी बोर्ड द्वारा की जायेगी। प्रशिक्षण शुल्क एवं प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तकों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु श्रमिक को उस संस्था से प्रदत्त प्रमाण–पत्र एवं प्रमाणित व्यय विवरण प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में मजदूरी की प्रतिपूर्ति केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में ही की जायेगी न कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों पुत्र/पुत्रियों के संदर्भ में।	योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान उ0प्र0 कौशल विकास मिशन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षणदाता संस्था को उ0प्र0 कौशल विकास मिशन में निर्धारित दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं भाग लेता है तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि की मजदूरी (जो सम्बन्धित कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरूप होगी) की प्रतिपूर्ति भी बोर्ड द्वारा की जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में मजदूरी की प्रतिपूर्ति केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में ही की जायेगी, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों को नहीं।
प्रस्तर–5, आवेदन प्रक्रिया	(1) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना–पत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के 03 माह के अन्दर प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्रों में बोर्ड के सचिव द्वारा पर्याप्त कारण उपलब्ध कराये जाने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा, परन्तु 06 माह से अधिक विलम्बित अवधि के प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (2) आवेदक द्वारा अपना प्रार्थना पत्र निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय में तहसीलदार को अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी एक प्रति	<u>प्रशिक्षण चयन प्रक्रियाः–</u> निर्माण श्रमिक अथवा उनके पुत्र/पुत्री जो प्रशिक्षण हेतु इच्छुक हो, का चयन उनसे विकल्प प्राप्त कर श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा अथवा उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जायेगा तथा प्रशिक्षणार्थियों की ट्रेडवाईज सूची प्रशिक्षणदाता संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
	पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध कराई जायेगी। **(3)** आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक का निर्गत पहचान–पत्र की फोटो प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। **(4)** आवेदन पत्र के साथ प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था द्वारा दिया गया व्यय का प्रमाण–पत्र मूलरूप में एवं संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण–पत्र कि आवेदक अथवा उसकी पत्नी/पुत्र/पुत्री ने किन तिथियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
प्रस्तर–6, हितलाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रख रखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया।	**(1)** योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अंदर यथासम्भव जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता कार्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के समय चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों की पुष्टि करते हुए तथा समस्त वांछित अभिलेखों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होने की दशा में ही प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे ताकि आवेदक निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार को अनावश्यक रूप से दुबारा बुलाने की आवश्यकता न हो। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र समय से स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सके। **(2)** जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए जिलाधिकारी के समक्ष	जो प्रशिक्षण कार्यक्रम उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित होंगें, उनमें बोर्ड द्वारा सीधे एकमुश्त धनराशि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। कौशल विकास मिशन उक्त धनराशि में से प्रशिक्षणदाता संस्थाओं को तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित देयों का भुगतान करेगा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित समस्त अभिलेखों/लेखों का रख–रखाव करेगा तथा उसका पूर्ण विवरण बोर्ड को उपलब्ध करायेगा। जिन मामलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चयनित संस्थाओं द्वारा किया जाता है, ऐसे मामलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात् तथा कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रमाणीकरण के उपरान्त संस्था द्वारा क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त के माध्यम से समस्त बिल बाउचर एवं प्रशिक्षण का पूर्ण विवरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत देय धनराशि का पूर्ण विवरण भी बोर्ड को उपलब्ध करायेंगे। यदि प्रशिक्षणार्थी निर्माण श्रमिक स्वयं है तो उसे देय मजदूरी के प्रतिपूर्ति का

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से यथासम्भव 03 के अंदर जिलाधिकारी के ओदशार्थ प्रस्तुत किया आएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व चेक लिस्ट के अनुसार सभी विवरणों/संलग्नकों की अभिलेखों के अनुसार पुष्टि कर ली जाए। **(3)** जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिप्रमाणित अभिलेखों से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार अनुमन्य धनराशि के स्वीकृति के आदेश पत्रावली पर किए जायेंगे। जिलाधिकरी यदि ऐसा आवश्यक/वांछनीय प्रतीत करें, तो प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की स्थलीय जाँच के आदेश भी जिला श्रम कार्यालय के अधिकारी के माध्यम से करा सकते हैं अथवा जिलाधिकारी एक संयुक्त जाँच टीम गठित करते हुए समयबद्ध स्थलीय जाँच करवा सकते हैं। स्वीकृत सम्बन्धी यह कार्यवाही यथासम्भव पत्रावली प्रस्तुत होने के 10 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। **(4)** प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत/अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी, उसकी सूचना प्रपत्र–2 पर आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी। **(5)** जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में यथासम्भव 10 दिन के अंदर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा इस प्रकार जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली/पत्रावलियाँ उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 03 दिन के अंदर, सम्बन्धित निर्माण	बिल पृथक रूप से प्रशिक्षणदाता संस्था द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त प्रशिक्षणदाता संस्थाओं द्वारा प्राप्त बिल बाउचर आदि पर सम्यक रूप से जांच करायेंगे तथा अपनी अंनुशसा के साथ बिल बाउचर को सत्यापित करते हुए प्राप्त होने की तिथि के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को उपलब्ध करायेंगे। बोर्ड कार्यालय में बिल बाउचर की सत्यापित प्रति एवं उपश्रमायुक्त की आख्या प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष /सचिव बोर्ड द्वारा (वित्तीय अधिकारों के अनुसार) स्वीकृति करते हुए प्रशिक्षणदाता संस्था को प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यय का तथा निर्माण श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या–3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरान्त अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
	श्रमिक/लाभार्थी के नाम से रेखांकित चेक स्वीकृत धनराशि का उल्लेख करते हुए निर्गत किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी के बैंक खाता नम्बर, शाखा इत्यादि का भी स्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। इस प्रकार निर्गत चेक सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय में प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा। बोर्ड का आगामी छः मास में यह प्रयास होगा कि सम्बन्धित श्रमिक/लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजी जायेगी, परंतु जब तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो जाती है तब तक इस प्रस्तर में पूर्व उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। **(6)** इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेखांकित चेक जिलाधिकरी के संज्ञान में लाते हुए लाभार्थी को यथासम्भव 07 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा और उससे प्राप्ति रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित रखी जायेगी। **(7)** इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या–3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय उपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के	

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
	कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरान्त अगले 04 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।	

योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त संशोधन अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। उपर्युक्त संशोधन योजना के प्रस्तर–02, 03, 04, 05 तथा 06 में किए गये हैं। अन्य प्रस्तर पूर्व की भांति बने रहेगें। कृपया संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0पी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–5600-07 /भ0नि0बोर्ड (87)–2019 दिनांक – 7/02/2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. श्रम अनुभाग–2 को उनके पत्र संख्या–4/2019/572/36–2–2018/17/2013 दिनांक 04. 02. 2019 के क्रम में सूचनार्थ।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड एवं संशोधन करने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाईल हेतु।

(एस0पी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।